

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद

दिनांक: 18-01-14

पत्रांक सं: मान्यता, 30,081-86/2013-14

प्रबन्धक,

महर्षि विद्या मन्दिर,
शेरडीह, झुंसी, बहादुरपुर,
इलाहाबाद।


विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।


महोदय


आपके तारीख 31.08.2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय को साथ परघातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं महर्षि विद्या मन्दिर, झुंसी, बहादुरपुर, इलाहाबाद को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यक्षीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के परघात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में); उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- रोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:


08/09/2022
PRINCIPAL
Maharishi Vidya Mandir
Gram-Sherdeeh, Jhunsli
Prayagraj-211019
CBSE/Aff/2131990
School Code No.-70057


Principal
Maharishi Vidya Mandir
Gram-Sherdeeh, Jhunsli
Allahabad


महर्षि विद्या मन्दिर
शेरडीह, झुंसी, इलाहाबाद